

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 03.02.2023 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 03.02.2023 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्रीमती मालिनी अग्रवाल, सदस्य
अति. महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर।
2. डॉ. सौम्या झा, सदस्य
संयुक्त शासन सचिव,
गृह (ग्रुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
3. श्री विक्रम सिंह, सदस्य
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर।
4. श्री दिलबाग सिंह, सदस्य
उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

बैठक में 247 बंदियों के प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन प्रकरणों में समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

1. स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

क्र. सं.	बंदी का नाम मय पिता का नाम	जेल का नाम, जहां बंदी सजा भुगत रहा है।	गृह जिला	विशेष विवरण
1.	देरामराम उर्फ देवाराम पुत्र शिवलाल	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	जैसलमेर	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ -पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर

2.	मोहन पुत्र रूपा	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	झूंगरपुर	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ -पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
3.	शंकर लाल पुत्र गणेश लाल	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	उदयपुर	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ -पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
4.	लटूर पुत्र रामकिशन	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	जयपुर	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ -पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
5.	राजमल पुत्र रामचन्द्र	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	उदयपुर	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ -पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
6.	घनश्याम पुत्र नाथू	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	भीलवाडा	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ -पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
7.	ओमप्रकाश पुत्र बजरंग लाल	केन्द्रीय कारागृह जयपुर	जयपुर	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ -पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर

8.	रामु पुत्र धुला	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	झूंगरपुर	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ -पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
9.	महेन्द्र कुमार पुत्र रामजी	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	बांसवाडा	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ -पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
10.	मादीया पुत्र सोमा	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	सिरोही	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ -पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
11.	गजानन्द उर्फ गज्जा पुत्र कल्याण	वि.के.का. श्यालावास	सवाई माधोपुर	-
12.	मीनू पुत्र लाल्या	वि.के.का. श्यालावास	दौसा	-
13.	पुरुषोत्तम उर्फ पोषण पुत्र किशन लाल	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	झुन्झुनू	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
14.	दीपाराम पुत्र जेठाराम	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	बीकानेर	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर

15.	ईश्वर सिंह पुत्र भूर सिंह	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	भीलवाडा	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
16.	बालूसिंह पुत्र उदय सिंह	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	भीलवाडा	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
17.	दुर्गालाल पुत्र नानूराम	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	झालावाड़	-
18.	शिवकुमार उर्फ शिव्बो पुत्र रणधीर सिंह	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	भरतपुर	-
19.	जगदीश पुत्र धर्मपाल	वि.के.का. श्यालावास	सर्वाई माधोपुर	-
20.	ठाकूरसिंह पुत्र जवाहर सिंह	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	चितौड़गढ़	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
21.	प्रकाश पुत्र कानाराम	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	सीकर	-
22.	छोटूसिंह पुत्र मेहताब	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	बून्दी	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
23.	विजेन्द्र सिंह यादव उर्फ टीलू पुत्र महावीर सिंह	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	भोपाल (म.प्रदेश)	-

24.	राजू उर्फ राजाराम पुत्र वरदाराम	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	पाली	-
25.	मेहरबान पुत्र रामलाल	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	झालावाड	-
26.	बालचन्द पुत्र हीरालाल	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	झालावाड	-
27.	राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र नाथूलाल	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	जयपुर	-
28.	अशोक सिंह पुत्र जगदीश सिंह	वि.के.का. श्यालावास	जयपुर	-
29.	मांगीलाल पुत्र प्रभूलाल	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	कोटा	-
30.	संदीप पुत्र मोहन लाल	केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	-
31.	धना लाल पुत्र उंकार	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	भीलवाड़ा	-
32.	निताल सिंह पुत्र लालसिंह	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	भरतपुर	-
33.	सोहन लाल उर्फ वक्ता पुत्र वज्जा माईडा	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	बांसवाडा	-
34.	भैरूलाल पुत्र ऊंकार लाल	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	राजसमन्द	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
35.	हरागलावता पुत्र पी.एन. तारा	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	शेरचिप (मिजोरम)	-
36.	फतेह सिंह पुत्र प्रताप सिंह	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	उदयपुर	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर

37.	भीमसिंह पुत्र अमर सिंह	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	पाली	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का शर्त पर
38.	कृष्ण राजभर पुत्र बनवारी राजभर	वि.के.का. श्यालावास	कूचविहार (प.बंगाल)	-
39.	मुकेश माली उर्फ टेलर पुत्र कस्तुरा माली	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	सवाई माधोपुर	-
40.	जीतू सिंह उर्फ जीतौया पुत्र नारायण सिंह	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	हनुमानगढ़	-
41.	विष्णु कुमार पुत्र विनोद कुमार	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	भरतपुर	-
42.	शिवचरण पुत्र बाबूलाल	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	बून्दी	-
43.	श्यामलाल पुत्र रामसहाय	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	सवाई माधोपुर	-
44.	बलबीर पुत्र बदन सिंह	केन्द्रीय कारागृह अलवर	अलवर	-
45.	रामावतार पुत्र पन्नालाल उर्फ कल्याण	वि.के.का. श्यालावास	सवाई माधोपुर	-
46.	अशरफ पुत्र आजाद मोहम्मद	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	भीलवाड़ा	-
47.	सलीम खाँ पुत्र असकर खाँ	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	जोधपुर	-
48.	कैलाश उर्फ रत्न पुत्र मगना	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	भीलवाड़ा	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
49.	रामनरेश पुत्र सप्ताप्रसाद	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	धौलपुर	-

50.	गलबाराम पुत्र भावाजी	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	जालौर	-
51.	हीरादास उर्फ हीरालाल पुत्र शिवालाल	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	जयपुर	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर

2. अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण

वरियता में होने पर भी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अंतर्गत साधारणतया व नियम 4 (क) के प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से निमांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया :-

क्र. सं.	बंदी का नाम मय पिता का नाम	जेल का नाम, जहां बंदी सजा भुगत रहा है।	खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का कारण
1.	अनवर पुत्र रमजानी	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	02 से अधिक 07 प्रकरणों में दण्डित एवं 03 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
2.	एम. जमाल अलवी पुत्र मतीनुद्दीन अलवी	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	टाडा एकट में दण्डित होने एवं देश विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त होने।
3.	मोहम्मद शमशुद्दीन पुत्र मोहम्मद रूकमुद्दीन	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	टाडा एकट में दण्डित होने एवं देश विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त होने।
4.	अशफाक खान पुत्र अब्दुल अजीज	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	टाडा एकट में दण्डित होने एवं देश विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त होने।
5.	मोहम्मद अफाक खान पुत्र मोहम्मद मकसूद	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	टाडा एकट में दण्डित होने एवं देश विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त होने।
6.	फजलुरहमान सुफी उर्फ शमीम पुत्र अब्दुल रहमान सुफी	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	टाडा एकट में दण्डित होने एवं देश विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त होने।

7.	मोहम्मद आमीन पुत्र मोहम्मद उस्मान	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	टाडा एक्ट में दण्डित होने एवं देश विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त होने।
8.	पृथ्वीराज उर्फ पृथ्वी पुत्र भागीरथ	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित एवं खुला बंदी जिल्हा से फरारशुदा।
9.	मोहम्मद एजाज अकबर पुत्र अब्दुल मजीद कमलापुरकर उर्फ अब्दुल्ला	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	टाडा एक्ट में दण्डित होने एवं देश विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त होने।
10.	अब्रे रहमत अन्सारी पुत्र नूर मोहम्मद अन्सारी	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	टाडा एक्ट में दण्डित होने एवं देश विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त होने।
11.	नरेन्द्र पुत्र सीताराम,	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	02 से अधिक 08 प्रकरणों में दण्डित तथा 03 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
12.	लालचन्द उर्फ लालिया उर्फ लालिया डुम पुत्र राजू उर्फ कचरूमल	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (जी), 395, 460 आई.पी. सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
13.	प्रभूलाल पुत्र बलदेवा	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	प्रतिबंधित धारा 376(2)(च) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
14.	नाथू पुत्र भूरानाथ कालबेलिया	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	प्रतिबंधित धारा 393, 395 आई.पी.सी. में दण्डित।
15.	गोपाल सिंह पुत्र जगमाल सिंह	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	मानसिक रोगी होने के कारण।
16.	राजूदास पुत्र मंसाराम	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	प्रतिबन्धित धारा 397 में दण्डित एवं दिनांक 04. 05.2021 को उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने तक परिहार से वंचित किये जाने एवं दिनांक 18.05. 2022 व 04.12.2022 को जेलदण्ड से दण्डित।

17.	सत्तार पुत्र बाबू खान	जिला कारागृह, टोंक	पूर्व में स्थाई पैरोल के दौरान अनुशासनहीनता किये जाने पर स्थाई पैरोल स्थिक किये जाने एवं 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
18.	धोलू उर्फ प्रेमचन्द पुत्र मुंगाराम	केन्द्रीय कारागृह जयपुर	मानसिक रोगी होने के कारण।
19.	राजू भील पुत्र कस्तुरा	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	02 से अधिक 08 प्रकरणों में दण्डित, पुलिस अधिकारी से फरारशुदा, लाचार एवं मानसिक रोगी होने के कारण।
20.	मोमनराम पुत्र प्रेमाराम	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	मानसिक रोगी होने के कारण।
21.	महेन्द्र सिंह पुत्र देवी सिंह	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
22.	पवनपुरी पुत्र पूरणपुरी	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	पुलिस अधिकारी से 02 बार फरार होने एवं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, 1967 (आतंककारी गतिविधियां) में दण्डित।
23.	विष्णु पुत्र नेकराम	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	खुला बंदी शिविर से फरारशुदा, 02 से अधिक 04 प्रकरणों में दण्डित तथा पोक्सो एक्ट में दण्डित।
24.	धर्मेन्द्र सिंह उर्फ राजू उर्फ वीरु उर्फ जोनी पुत्र तरसेमसिंह	के.का. श्रीगंगानगर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन
25.	रोहिताश पुत्र कालूराम	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	मानसिक रोगी होने के कारण।
26.	विनोद कुमार पुत्र सोहनलाल	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 396 आई.पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित एवं पैरोल से फरारशुदा।

27.	रतनलाल उर्फ बदू पुत्र हीरालाल	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	दिनांक 04.12.2021 को खुला बंदी शिविर से फरारशुदा एवं जेल दण्ड से दण्डित होने।
28.	सुनिल उर्फ सोना पुत्र बिरमभाई	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 (3) (2) (एन) आई.पी.सी. में 20 वर्ष कारावास से दण्डित एवं खुला बंदी शिविर से फरारशुदा।
29.	नागरमल पुत्र रामनाथ	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	प्रतिबंधित धारा 224 आई. पी.सी. में दण्डित एवं खुला बंदी शिविर से दिनांक 19.03.2022 को फरार।
30.	पम्मा उर्फ परमजीत पुत्र अजायब सिंह	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	बन्दी खुला शिविर में शराब का सेवन करने के कृत्य के लिए दिनांक 12. 07.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
31.	हीर गिरी पुत्र नारायण गिरी	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	खुला बंदी शिविर से दिनांक 22.02.2022 को फरार एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
32.	प्रशान्त उर्फ लाला पुत्र कृष्णकुमार	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	खुला बंदी शिविर से फरारशुदा एवं 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
33.	रेणु उर्फ राजवीर पुत्र बाबू सिंह	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	02 से अधिक 05 प्रकरणों में दण्डित एवं खुला बंदी शिविर से फरारशुदा।
34.	रमेश पुत्र हरीश चन्द	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	पैरोल से फरारशुदा एवं 03 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
35.	श्योप्रकाश पुत्र श्योकरण	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	02 से अधिक 04 प्रकरणों में दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
36.	सुनील पुत्र ईश्वर सिंह	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	पैरोल/खुला बंदी शिविर से फरारशुदा, 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन होने के कारण।

37.	गोपाल पुत्र हरजी	के.का.जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित
38.	प्रहलाद पुत्र उदाराम	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	कदाचार के कारण दिनांक 09.09.2022 को खुला बंदी शिविर से पुनः जेल दाखिला।
39.	सोनू उर्फ सानू पुत्र पूनमचन्द	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित
40.	रूपराम पुत्र कृष्णलाल	केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर	बन्दी खुला शिविर से दो बार दिनांक 07.10.2015 व 09.09.2022 को फरारशुदा।
41.	केसर सिंह पुत्र औंकार सिंह	केन्द्रीय कारागृह कोटा	पैरोल से दिनांक 10.12.2017 से 12.01.2020 तक फरारशुदा।
42.	जोगाराम पुत्र रूपराम	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	पैरोल से फरारशुदा एवं फरारी प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर)।
43.	गुड्डन पुत्र मनोहर सिंह	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 395, 396 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित
44.	मेजर सिंह पुत्र जगीन्द्र सिंह	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	बन्दी खुला शिविर से फरारशुदा एवं फरारी प्रकरण विचाराधीन (जमानत पर)
45.	राजूलाल पुत्र कजोड मल	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	दो से अधिक प्रकरणों में दण्डित एवं बन्दी खुला शिविर से फरारशुदा।
46.	राजकुमार पुत्र सत्यनारायण	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	बन्दी खुला शिविर से फरारशुदा। फरारी प्रकरण विचाराधीन।
47.	राजवीर सिंह पुत्र सरदार सिंह	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन
48.	ओमप्रकाश पुत्र नथमल	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 396 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित एवं पैरोल से फरारशुदा।

49.	सेला पुत्र तला	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	खुला बन्दी शिविर में कदाचार का दोषी पाये जाने पर दिनांक 11.07. 2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
50.	हडमति सिंह उर्फ हडमता पुत्र सवाजी	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	बन्दी खुला शिविर बाड़मेर से कदाचार पर दिनांक 10. 09.2021 को जेल दाखिल हुआ।
51.	सवाई खां पुत्र फौजू खां	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित।
52.	विजयपाल उर्फ लवली पुत्र महेन्द्र सिंह	वि.के.का. श्यालावास	पैरोल से फरारशुदा एवं अन्य 03 प्रकरणों में विचाराधीन।
53.	नेतराम उर्फ धोलूराम पुत्र आदराम	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	मानसिक रोगी होने के कारण।
54.	आविद पुत्र ईमरत	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	बन्दी खुला शिविर से दिनांक 26.10.2021 से 28. 02.2022 तक फरारशुदा।
55.	अनिल पुत्र हेतराम	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित एवं बन्दी खुला शिविर से फरारशुदा।
56.	कैलाश नाथ पुत्र ऊंकार नाथ	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित।
57.	सुनील उर्फ लीडर पुत्र रामकुमार	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित एवं 04 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
58.	विनोद कुमार पुत्र मनफूलराम	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	मानसिक रोगी होने के कारण।
59.	सुबान खां पुत्र इस्माइल खां	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	बन्दी खुला शिविर से फरारशुदा एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
60.	नारायण पुत्र लालूराम	केन्द्रीय कारागृह उदयपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर)।
61.	हनीफ पुत्र गारू खां	केन्द्रीय कारागृह बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376(2)(जी) आई.पी.सी. में दण्डित एवं पैरोल से फरारशुदा।

62.	मुश्ताक उर्फ आरीफ पुत्र मजीद उर्फ अख्तर अली	वि.के.का. श्यालावास दौसा	04 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
63.	कैलाश पुत्र मोहनराम	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (एफ) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास, 02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित तथा जेल अभिरक्षा से फरारशुदा।
64.	दुल्हा सिंह उर्फ निर्मल सिंह पुत्र गुरनाम सिंह	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित।
65.	अजीत पुत्र शिवलाल	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	02 से अधिक 10 प्रकरणों में दण्डित, मानसिक रोगी एवं दिनांक 04.06.2021 को 07 दिवस परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित।
66.	अजीत कुमार पुत्र रामकुमार	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	पैरोल से फरारशुदा, 02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित तथा 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन
67.	विजय सिंह पुत्र हल्के मीणा उर्फ रामचरण	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	आपात पैरोल से फरारशुदा, 02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित।
68.	सुभाष पुत्र दौलतराम	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	02 से अधिक 07 प्रकरणों में दण्डित एवं पैरोल से फरारशुदा।
69.	लक्ष्मण पुत्र मांगीया	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	मानसिक रोगी होने के कारण।
70.	बाबुलाल पुत्र काना	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	मानसिक रोगी होने के कारण।
71.	मांगीलाल पुत्र हमेर जी	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	एक अन्य प्रकरण विचाराधीन (जमानत पर) एवं दिनांक 01.09.2022 को जेल दण्ड से दण्डित होने के कारण।

72.	कोमल सिंह पुत्र राम सिंह	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित तथा 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
73.	सुरेश पुत्र <u>गंगाराम</u>	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	खुला बंदी शिविर से फरारशुदा एवं 01 अन्य प्रकरण विचाराधीन।
74.	अखेसिंह पुत्र भंवरसिंह	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	04 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर)।
75.	उमेश कुमार पुत्र रामभरोसी मीणा	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	मानसिक रोगी होने एवं खुला बंदी शिविर से फरारशुदा।
76.	मुस्तफा पुत्र महबुब खाँ	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (जी), (2)(एस) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
77.	सिराज अहमद उर्फ नसिरुदीन पुत्र रहीम बक्श उर्फ बोदू खाँ	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376, 377 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित, पैरोल से फरारशुदा।
78.	शिवलाल पुत्र प्यारा	केन्द्रीय कारागृह उदयपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर) एवं पैरोल से फरारशुदा।
79.	देवनारायण उर्फ शंकर पुत्र शिम्भुदयाल	केन्द्रीय कारागृह जयपुर	02 से अधिक 05 प्रकरणों में दण्डित तथा मानसिक रोगी होने के कारण।
80.	मिखेल भुईया उर्फ राजु टोपन उर्फ मिथलेश पुत्र फिलिप भुईया	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित।
81.	मदन उर्फ मदनिया पुत्र मोडिया	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित एवं पैरोल से फरारशुदा।
82.	विपिन उर्फ विवेक उर्फ विकेश उर्फ विका पुत्र धन्ना	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित।

83.	राधेश्याम उर्फ राजू पुत्र रणधीर सिंह	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	पैरोल/खुला बंदी शिविर से फरारशुदा एवं मानसिक रोगी।
84.	कुलदीप पुत्र बलदेव सिंह	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	02 से अधिक 04 प्रकरणों में दण्डित तथा मानसिक रोगी होने के कारण।
85.	युसुफ मोहम्मद पुत्र सईदुल्लाह खान उर्फ लाडू	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	पैरोल से फरारशुदा एवं फरारी प्रकरण में विचाराधीन।
86.	शंकरलाल पुत्र गांगजी	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	खुला बंदी शिविर से फरारशुदा एवं मानसिक रोगी होने के कारण।
87.	नारायण लाल पुत्र रता उर्फ रतनलाल	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	मानसिक रोगी होने के कारण।
88.	अमित कुमार जोशी पुत्र कैलाशचंद जोशी	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (एफ) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
89.	सलीम उर्फ रफीक पुत्र गफुर मोहम्मद	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	08 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
90.	शेर खाँ पुत्र सरदार खाँ	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	खुला बंदी शिविर से फरारशुदा एवं फरारी प्रकरण में विचाराधीन।
91.	कालू खाँ पुत्र शकूर खाँ	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.10.2019 की अनुपालना में बन्दी खुला शिविर का लाभ देय नहीं।
92.	शकूर खाँ पुत्र अल्फू खाँ	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.10.2019 की अनुपालना में बन्दी खुला शिविर का लाभ देय नहीं।
93.	शहाबुद्दीन पुत्र शकूर खाँ	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.10.2019 की अनुपालना में बन्दी खुला शिविर का लाभ देय नहीं।

94.	रहीम बक्स पुत्र शकूर खाँ	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.10.2019 की अनुपालना में बन्दी खुला शिविर का लाभ देय नहीं।
95.	उस्मान पुत्र शकूर खाँ	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.10.2019 की अनुपालना में बन्दी खुला शिविर का लाभ देय नहीं।
96.	नीरज जाटव पुत्र कालूराम उर्फ बादशाह	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	बन्दी खुला शिविर से फरारशुदा एवं 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
97.	विरेन्द्र सिंह उर्फ अरबी पुत्र सवाई सिंह	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	दिनांक 09.04.2021 को खुला बंदी शिविर, बौछवाल से कदाचार के कारण जेल दाखिल।
98.	नजीर खाँ पुत्र मीरू खाँ	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, 1967 (आतंककारी गतिविधियां) में दण्डित।
99.	सोढा खान उर्फ सोबदार उर्फ लूणिया पुत्र हाजी ऐहदी	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, 1967 (आतंककारी गतिविधियां) में दण्डित।
100.	कैलाशचन्द पुत्र लादूलाल	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित तथा पैरोल से फरारशुदा।
101.	गोविन्द सिंह पुत्र उम्मेद सिंह	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	2 से अधिक 3 प्रकरणों में दण्डित एवं 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
102.	खानू खान उर्फ खानिया पुत्र मारूफ	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, 1967 (आतंककारी गतिविधियां) में दण्डित।
103.	पिंकू कुमार पुत्र राजूदीन	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	मानसिक रोगी होने के कारण।
104.	कालू उर्फ जमाल खाँ पुत्र छोटू खाँ	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	दिनांक 14.04.2021 से 17.08.2021 तक खुला बंदी शिविर से फरारशुदा एवं दिनांक 18.04.2021 को 07 दिवस परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित।

105.	जसाराम पुत्र हीराराम जी	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	खुला बंदी शिविर से फरारशुदा एवं अन्य 01 प्रकरण में विचाराधीन।
106.	रमेश पुत्र हरजी	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 396 आई.पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
107.	शंकर सिंह पुत्र नाथूसिंह	जिला कारागृह, टॉक	दिनांक 23.10.2021 को खुला बंदी शिविर/पेट्रोल पम्प से फरारशुदा एवं फरारी प्रकरण में विचाराधीन।
108.	मुकेश उर्फ कमलेश उर्फ मलकेश पुत्र कानजी उर्फ हरजी हटीला	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 396 आई.पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
109.	नरेश पुत्र रामसिंह	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 396 आई.पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित।
110.	देवा पुत्र खेतिया	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 396 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
111.	राजू पुत्र खेतिया	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 396 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित एवं मानसिक रोगी।
112.	रामावतार उर्फ पप्पू पुत्र मंगलाराम	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	दिनांक 12.10.2021 को जेल दण्ड से दण्डित।
113.	पानसिंह पुत्र शिवचरन	वि.के.का. श्यालावास	02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन (जमानत पर)।
114.	देवीसिंह पुत्र भंवर सिंह	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	बन्दी खुला शिविर से फरारशुदा एवं 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
115.	कुकु पुत्र रण सिंह	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	मानसिक रोगी होने के कारण।

116.	दीनदयाल पुत्र रामस्वरूप गुर्जर	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	मानसिक रोगी होने के कारण।
117.	दीपू उर्फ दीपक पुत्र किशनलाल	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (च)आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
118.	मुकेश उर्फ पप्पू पुत्र प्रभात्या उर्फ प्रभातीलाल	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (झ)(ड) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
119.	तेजमल पुत्र मांगीलाल	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को मृत्यु होने तक आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है।
120.	गोपाल पुत्र प्रेमनारायण पाण्डे	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	दिनांक 04.12.2022 को जेलदण्ड से दण्डित।
121.	विनीत उर्फ टिंकु पुत्र रोड़ीलाल	केन्द्रीय कारागृह उदयपुर	जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने पर दिनांक 18.05.2022 को 04 दिवस परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित।
122.	अनिल पुत्र कामता	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	मानसिक रोगी होने के कारण।
123.	सुभाष उर्फ पपीया पुत्र गणपतराम	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
124.	विजय कुमार उर्फ खुशीलाल पुत्र दरपी उर्फ ¹ दुखीलाल	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 396/120 बी आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
125.	किशनलाल उर्फ किशोर कुमार पुत्र गणेशलाल	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	पुलिस अभिरक्षा से फरारशुदा, 02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित एवं उद्योगशाला से निरन्तर अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 04.12.2022 को 4 दिवस परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित।

126.	गुड्डु सर्किट उर्फ अब्दुल रफीक पुत्र अब्दुल हमीद	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	पैरोल से फरारशुदा एवं 02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित।
127.	आबिद कुरेशी पुत्र फजर्लुहमान	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	बन्दी खुला शिविर से फरारशुदा एवं अन्य आपराधिक प्रकरण में लिप्त पाये जाने।
128.	गुड्डास उर्फ गुडिया पुत्र भीमदास	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	खुला बंदी शिविर से फरारशुदा एवं फरारी प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर) तथा मानसिक रोगी होने के कारण।
129.	हलुका पुत्र लाखन सिंह	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	खुला बंदी शिविर से फरारशुदा एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर)।
130.	महेन्द्र उर्फ नरेन्द्र कुमार उर्फ धर्मन्द्र कुमार पुत्र मांगीलाल	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (एफ) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
131.	जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र ताराचंद	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	पैरोल से फरारशुदा एवं फरारी प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर) तथा अन्य 03 प्रकरणों में दण्डित।
132.	प्रवीन्द्र उर्फ लीला पुत्र मूलचन्द	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	02 से अधिक 04 प्रकरणों में दण्डित, पैरोल से फरारशुदा एवं 09 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
133.	गौतम पुत्र राजाराम	जिला कारागृह, टॉक	खुला बंदी शिविर, सांगानेर पर बंदियों के साथ झगड़ा/मारपीट करने के फलस्वरूप दिनांक 18.08.2021 को कदाचार के कारण जेल दाखिल।
134.	राजू उर्फ राजेन्द्र कुमार पुत्र समरथाराम	उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन एवं दिनांक 06.05.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।

135.	राधेश्याम पुत्र आनन्दीलाल	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	खुला बंदी शिविर से फरारशुदा। एवं फरारी प्रकरण में विचाराधीन।
136.	अशोक कुमार उर्फ अशोकी (शोकी) पुत्र हनुमान	जिला कारागृह, टॉक	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर)।
137.	अनिल पुत्र पूरणसिंह	वि.के.का. श्यालावास	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर)।
138.	पप्पूराम पुत्र देवाराम	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	पैरोल से फरारशुदा। एवं फरारी प्रकरण में विचाराधीन।
139.	सुनिल पुत्र निक्काराम	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (1)आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
140.	पवन पुत्र बद्रीप्रसाद	जिला कारागृह, टॉक	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित तथा खुला बंदी शिविर से फरारशुदा।
141.	जयभगवान पुत्र मांगीलाल	जिला कारागृह, टॉक	खुला बंदी शिविर से फरारशुदा एवं मानसिक रोगी होने के कारण।
142.	भाणुनाथ पुत्र सांवतनाथ उर्फ श्योपतनाथ	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (जी)आई.पी.सी. में दण्डित एवं आयु को ध्यान में रखते हुए।
143.	मोहनलाल पुत्र बिरदाराम	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	कदाचार के कारण दिनांक 31.05.2022 को बन्दी खुला शिविर से जेल दाखिल।
144.	मुसा पुत्र सदीक उर्फ सबीया	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, 1967 (आतंककारी गतिविधियां) में दण्डित।
145.	जय सिंह उर्फ विरेन्द्र सिंह पुत्र किशन सिंह	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 (1) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास (40 वर्ष से कम नहीं होगी) से दण्डित।

146.	देवाराम रावल पुत्र टीला रावल	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित।
147.	भजन मीणा उर्फ बहादुर सिंह पुत्र हरफूल सिंह	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	कारागृह में निरुद्ध पाकिस्तानी बन्दी की हत्या करने के कारण दिनांक 10.01.2020 को आजीवन कारावास से दण्डित।
148.	अर्जुन सिंह पुत्र हीरा सिंह	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (आई) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
149.	प्रभुराम पुत्र ओबाजी	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	पैरोल से फरारशुदा एवं फरारी प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर)।
150.	बाबूलाल पुत्र मथुरालाल	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	खुला बन्दी शिविर से फरारशुदा एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
151.	रघुवीर पुत्र लाखन सिंह	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (आई) आई.पी.सी. व 4, 6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
152.	शंकरलाल पुत्र जगन्नाथ	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी.में आजीवन कारावास से दण्डित एवं पैरोल से फरारशुदा।
153.	गजेन्द्र पुत्र कृष्णमुरारी	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	धारा 4 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
154.	राजेन्द्र उर्फ गौरु पुत्र हेतराम	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (एफ) आई.पी.सी. विकल्प में 5(एम)/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
155.	विक्रम पुत्र करण सिंह	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 397, 460 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

156.	अशोक कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद	वि.के.का. श्यालावास	खुला बंदी शिविर से फरारशुदा एवं फरारी प्रकरण में विचाराधीन।
157.	सफर मोहम्मद उर्फ गोलू पुत्र मोहम्मद अजीज	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास (अंतिम श्वास तक) से दण्डित।
158.	जगाराम उर्फ जगदीश पुत्र रूघनाथराम	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	खुला बंदी शिविर से फरारशुदा एवं 03 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन जिनमें से 01 प्रकरण में जमानत पर।
159.	रामभरोसी सहनी पुत्र प्रीतम सहनी	केन्द्रीय कारागृह जयपुर	मानसिक रोगी होने के कारण।
160.	सुरेश बैरवा पुत्र कस्तुरचंद	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 (घ) आई.पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
161.	रावजी पुत्र जीवणा	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	खुला बंदी शिविर से फरारशुदा एवं फरारी प्रकरण में विचाराधीन।
162.	चैनाराम पुत्र गैबाराम	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376 (डी) आई.पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
163.	कलाम पुत्र हुसैन भाई	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	प्रतिबंधित धारा 376(2)(जी) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
164.	जगदीश पुत्र हुकमाराम	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (एफ) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) से दण्डित।
165.	दुर्गशंकर पुत्र छोटूलाल	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 (घ) आई.पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
166.	संजय कुमार उर्फ संजू पुत्र हंसराज	केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर	खुला बंदी शिविर, गालूवाला पर कर्मचारियों के साथ गाली-गलौच/ मारपीट करने के फलस्वरूप दिनांक 26.12.2021 को कदाचार के कारण जेल दाखिल।

167.	लाला उर्फ लालशंकर उर्फ जीगर पुत्र गदु उर्फ गटूलाल	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 (डी) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) से दण्डित।
168.	मोडिया पुत्र झाला	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	खुला बन्दी शिविर से फरारशुदा एवं फारी प्रकरण विचाराधीन।
169.	गणेशराम पुत्र ओबाजी	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	खुला बन्दी शिविर से फरारशुदा एवं फरारी प्रकरण विचाराधीन।
170.	बगड़राम पुत्र श्री हाफुराम विश्नोई	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
171.	सन्नी उर्फ दीपक पुत्र भागचन्द	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 (डी) आई.पी.सी. व 5/6 पोक्सो एकट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
172.	जीतूराम पुत्र भत्माल	वि.के.का. श्यालावास	खुला बन्दी शिविर से फरारशुदा, फरारी प्रकरण में विचाराधीन तथा दिनांक 04.10.2021 को 05 दिवस परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित।
173.	गोदाराम उर्फ गोदिया पुत्र मगाराम	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर) एवं अन्तरिम जमानत से फरारशुदा।
174.	मनोहर पुत्र विष्णुप्रकाश	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	धारा 5/6 पोक्सो एकट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
175.	सुधीर उर्फ पप्पू सोनी पुत्र हरस्वरूप सोनी	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	धारा 5/6 पोक्सो एकट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
176.	राम सिंह पुत्र चमन सिंह	केन्द्रीय कारागृह उदयपुर	दिनांक 18.05.2022 को जेल दण्ड से दण्डित।
177.	रोहन शर्मा पुत्र दुर्गा शर्मा	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	धारा 5 एम/6 पोक्सो एकट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।

178.	कालू उर्फ कालिया पुत्र रामसहाय	जिला कारागृह, टॉक	प्रतिबंधित धारा 395/120 बी, 396/120बी, 460/120बी आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
179.	रणजीत पुत्र विजयसिंह	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (एफ) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
180.	सलमान उर्फ लगंडा पुत्र भुरा खौ	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 (डी) आई.पी.सी. व 5/6 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
181.	कमल किशोर पुत्र सुखदेव	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 (डी) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
182.	प्रभु पुत्र लादू	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
183.	कमल पुत्र गोविन्द	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	धारा 4 पोक्सो एक्ट, 2012 में आजीवन कारावास से दण्डित।
184.	देवा उर्फ देवीलाल पुत्र गोपा	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।

3. अग्रेषित प्रकरण :-

निम्नांकित प्रकरणों में बंदियों के नाम के सामने अंकित टिप्पणी/रिपोर्ट प्राप्त की जाकर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखें जावें।

क्र. सं.	बंदी का नाम मय पिता का नाम	जेल का नाम, जहां बंदी सजा भुगत रहा है।	अग्रेषित किये जाने का कारण
1.	घनश्याम पुत्र नवलकिशोर	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	बन्दी खुला शिविर से (दिनांक 10.07.2020 से 06.11.2020 तक) फरारी के दौरान कहाँ-कहाँ रहा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त तो नहीं था, बाबत रिपोर्ट।

2.	बजरंग पुत्र मांगीलाल	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	बन्दी खुला शिविर से (दिनांक 21.03.2019 से 06.08.2020 तक) फरारी के दौरान कहाँ-कहाँ रहा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त तो नहीं था, बाबत रिपोर्ट।
3.	सतपाल उर्फ सत्या पुत्र आदरराम	केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर	बन्दी खुला शिविर से (दिनांक 03.06.2022 से 04.06.2022 तक) फरारी के दौरान किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त तो नहीं था, बाबत रिपोर्ट एवं फरारी प्रकरण की वर्तमान स्थिति।
4.	नारायण पुत्र श्री भूरजी	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	बन्दी खुला शिविर से (दिनांक 13.09.2022 से 30.09.2022 तक) फरारी के दौरान कहाँ-कहाँ रहा एवं किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त तो नहीं था, बाबत रिपोर्ट तथा फरारी प्रकरण की वर्तमान स्थिति।
5.	भुरिया उर्फ जगदीश पुत्र अमरनाथ उर्फ लक्ष्मणनाथ	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	बन्दी खुला शिविर से (दिनांक 23.08.2019 से 09.01.2020 तक) फरारी के दौरान कहाँ-कहाँ रहा एवं किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त तो नहीं था, बाबत रिपोर्ट तथा फरारी प्रकरण की वर्तमान स्थिति।
6.	सोनू पुत्र अशोक जांगिड़	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	बन्दी खुला शिविर से (दिनांक 11.06.2020 से 04.02.2021 तक) फरारी के दौरान कहाँ-कहाँ रहा एवं किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त तो नहीं था, बाबत रिपोर्ट तथा फरारी प्रकरण की वर्तमान स्थिति।
7.	हरभान उर्फ काली पुत्र तेजा	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	बन्दी खुला शिविर से (दिनांक 09.05.2021 से 08.01.2022 तक) फरारी के दौरान कहाँ-कहाँ रहा एवं किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त तो नहीं था, बाबत रिपोर्ट तथा फरारी प्रकरण की वर्तमान स्थिति।

8.	रमेश पुत्र किशनलाल	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	बन्दी खुला शिविर से (दिनांक 22.05.1996 से 30.08.2017 तक) फरारी के दौरान कहाँ-कहाँ रहा एवं किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त तो नहीं था, बाबत रिपोर्ट।
9.	जोसेफ नयथी नडोलो पुत्र नडोलो	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	गत 01 वर्ष में बंदी को आवंटित कार्य तथा किये गये कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट।
10.	लक्ष्मण पुत्र जगन्नाथ	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	बन्दी खुला शिविर से (दिनांक 30.05.2022 से 31.05.2022 तक) फरारी के दौरान किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त तो नहीं था, बाबत रिपोर्ट।
11.	सांवरा पुत्र शंकर लाल	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	बन्दी खुला शिविर से (दिनांक 17.02.2021 से 13.07.2021 तक) फरारी के दौरान कहाँ-कहाँ रहा एवं किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त तो नहीं था, बाबत रिपोर्ट तथा फरारी प्रकरण की वर्तमान स्थिति।
12.	कौशल उर्फ सोनू पुत्र कानचन्द	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	पैरोल से (दिनांक 20.02.2004 से 22.08.2016 तक) फरारी के दौरान कहाँ-कहाँ रहा एवं किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त तो नहीं था, बाबत रिपोर्ट।

उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।	संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर।	अध्यक्ष महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।